शासनादेश सं0 545/26–व–प–2005–1 (19) 2002 दिनांक 3–7–2006 द्वारा जिला योजना के अर्न्तगत दो सूकर यूनिट स्वीकृत किया गया । जो अनुसूचित जाति वर्ग के अर्न्तगत समूह का गठन किया गया । स्वीकृत यूनिट के अनुसार निम्न समूह का गठन किया गया ।

1– सिंह वाहिनीं स्वंय सहायता समूह ग्राम– कटरी, वि0ख0 जामों सुलतानपुर ।

2– विकास स्वंय सहायता समूह ग्राम भादर विकास खण्ड भादर सुलतानपुर ।

उपरोक्त गठित समूहों का अनुमोदन मुख्य विकास अधिकारी महोदय से प्राप्त कर शासन की मंशा के अनुसार प्रति समूह को निम्नानुसार धन उपलब्ध कराया गया ।

क्रमांक	मद	धनराशि
1	कार्यशील पूॅजी प्रति समूह/समिति (मादा पशुओं का क्रय एंव उपयोग में आने वाली सामग्री आदि का क्रय)	50000=00
2	सूकर बाडें का निर्माण सहायता	20000=00
3	10 उन्नतशील नर सूकर सॉडों का क्रय (दर रू0 2000 प्रति सूकर भविष्य में इन सूकरों को स्वंय सहायता समूहो द्वारा बदला जायेगा ।)	20000=00
4	दवाओं आदि के क्रय हेतु अनुदान (रू0 10000 प्रति समूह)	10000=00
	योग	100000=00

कार्यालय निदेशक, पशु पालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

:–परिपत्र–:

एकीकृत सूकर विकास हेतु सूकर पालक स्वंय सहायता समूह/सहकारी समिति के माध्यम से सूकर प्रजनन एंव स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना (राज्य योजना) वर्ष 2006 में अनुदान सं0– 83 के अर्न्तगत शासनादेश के अनुरूप स्वीकृत बजट के ब्यय करने के संबन्ध में निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जायेः–

(1) जनपद से 10 सूकर पालक ब्यक्तियों का सहायता समूह/सहकारी समिति का चयन जनपद स्तर,पर स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजनान्तर्गत गठित समिति द्वारा किया जाय ।

(2) प्रति समूह/सोसायटी की सहायता, शासनादेश में उल्लिखित मदों के अनुरूप निम्न विवरणानुसार दी जायेगी ।

(अ) कार्यशील पूॅजी एंव सूकर बाडें का निर्माण सहायता का ब्यय रजिस्टर्ड सोस समूह के द्वारा मादा पशुओं का क्रय/आहारक्रय/विपणन(क्रय–विक्रय) और सूकर बाडे का निर्माण सुविधा उपलब्ध कराने के मद में अनुमन्य होगा ।

(ब) प्रति समूह/सहकारी समिति द्वारा सूकर सॉडो का क्रय विभागीय नीति के अनुरूप नियमानुसार किया जायेगा।

(स) दवाओं /वैक्सीन का क्रय विभागीय विशेषज्ञ समिति के द्वारा अनुमोदित सूची के दरों के अनुरूप किया जायेगा ।

(द) वित्तीय स्वीकृत प्राप्त होते ही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक समूह /समिति के खाते में कार्यशील पूॅजी (रू0 50000=00) सूकर वाडों का निर्माण (रू0 20000=00) तथा सूकर साडों का क्रय (रू0 20000=00) की धनराशि आहरित कर जमा करायेगें ।

(3) समूह/सहकारी समितियों द्वारा स्थापित की जाने वाली सूकर पालन किी इकाई का निरीक्षण पशु चिकित्साधिकारी द्वारा समय–समय पर किया जायेगा तथा आने वाली कठिनाईयों का निराकरण एंव मार्ग–दर्शन किया जायेगा ।

(4) स्वंय सहायता समूह/सोसाईटी में उक्त सूकर पालन इकाई में विमार पशुओं की चिकित्सा/टीकाकरण/दवापान का समुचित रिकार्ड रखा जायेगा ।

(5) मृत पशुओं का शव परीक्षण स्थानीय पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा सम्बन्धित बीमा कम्पनी को क्षति पूर्ति हेतु दावा प्रपत्र प्रेषित किया जायेगा ।

(6) स्वंय सहाता समूह/सहकारी समिति द्वारा उक्त सूकर पालन इकाई का आय ब्ययक एंव बैलेन्स शीट संबन्धी रिकार्ड रखा जायेगा ।

(7) कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति वित्तीय वर्ष के अर्न्तगत पूर्ण करना अनिवार्य है।

(8) लक्ष्यों की पूर्ति निर्धारित अवधि एंव मानकों के अर्न्तगत पूर्ण करना सुनिश्चित की जाय ।

(9) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ''जेण्डर बजटिंग को वर्ष 2006–07 में लागू किये जाने हेतु के कार्यक्रम अर्न्तगत उपलब्ध धनराशि के 20/30 प्रतिशत समतुल्य धनराशि को महिलाओं को लाभान्वित किये जाने हेतु ब्यय किया जाय ।

अपर निदेशक,(गोधन विकास)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0
लखनऊ

वर्ष 2007–08

———————————

एकीकृत सूकर विकास हेतु सूकर पालन सहकारी समितियों का गठन

शासनादेश सं0 यू0ओ0 167/26–व0प0–2007–1(19)/2002 दिनांक 12–6–2007 द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में एक सूकर यूनिट हेतु 100000=00 का बजट उपलब्ध कराया गया है समिति का गठन कर लिया गया है ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
सुलतानपुर ।

वर्ष 2007–08

———————————

एकीकृत बकरी विकास हेतु बकरी पालन सहकारी समितियों का गठन

शासनादेश सं0 यू0ओ0 176/26–व0प0–2007–1(18)/2004 दिनांक 18–6–2007 द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में एक बकरी यूनिट हेतु 100000=00 का बजट उपलब्ध कराया गया है समिति का गठन किया जा रहा है ।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
सुलतानपुर ।